न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—253/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/253)

1. पूरण पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र—बालिग, जाति—जाट, निवासी—बुहारू, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।
2. श्रीमती सांझा देवी पुत्री स्व0 श्री रामचन्द्र पत्नी श्री जगदीश, उम्र—बालिग, जाति जाट निवासी ग्राम बुहारू तहसील रूपनगढ जिला अजमेर हाल ग्राम नलू, तहसील किशनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. रामधन पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र 60 वर्ष
2. छोटू पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र 46 वर्ष
3. श्योजी पुत्र श्री रामेश्वर, उम्र 54 वर्ष
   रेस्पोडेंटस संख्या 1 से 3 समस्त निवासीगण बुहारू, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, रूपनगढ तहसील जिला अजमेर।
5. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा हरमाडा तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 03.08.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ, जिला अजमेर राजस्व वाद संख्या 08/2022

उपस्थितः—

1. श्री आशीष जैन, अभिभाषक अपीलांट संख्या 1
2. श्री तुलवीर सिंह, अभिभाषक अपीलांट संख्या 2
3. श्री करणसिंह व महेन्द्रसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4 व 5

निर्णय

दिनांकः—14.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2022 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा दिनांक 3.8.2023 को प्रकरण संख्या 08/2022 में अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए खसरा संख्या 136, 318 ग्राम बुहारू, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में से 5 मीटर चौडा रास्ता राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के खेत में से आने-जाने के लिए रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया तथा उक्त रास्ते में आई भूमि की कीमत 1945/- रूपए की दुगुनी राशि 3890/- रूपए निर्धारित की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2022 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्षों द्वारा की गई बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि दिनांक 29.4.2022 को अपीलार्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस तामील होने के पश्चात स्वयं अपीलार्थी पूरण व सांझा देवी अधीनस्थ न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके पश्चात अपीलार्थी पूरण व सांझा देवी ने अभिभाषक से संपर्क किया, जिसमें दिनांक 18.5.2022 को उक्त प्रकरण में उपस्थित होकर पैरवी करने का झूठा आश्वासन दिया तथा यह विश्वास व भरोसा दिलाया कि आपको प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात अगली पेशीयों पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के अभिभाषक ना तो उपस्थित हुए ना ही वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 3.8.2022 को अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया, जिसका अपीलार्थीगण को कोई ज्ञान नहीं रहा, जब अपीलार्थीगण के खेत पर रास्ते की कार्यवाही मय खसरा संख्या 318 में रास्ते का नाप चौप कर 5 मीटर का रास्ता रेस्पोडेंट के पक्ष में दे दिया गया, तब अपीलार्थीगण को उक्त निर्णय का ज्ञान होने पर अपीलार्थीगण ने अभिभाषक से संपर्क साधा लेकिन वह न्यायालय में नहीं मिले। अपीलार्थीगण ने दूसरे अभिभाषक श्री महावीर मालाकार से संपर्क कर दिनांक 24.7.2023 को नकल का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया नकल तैयार होने पर दिनांक 25.7.2023 को अधीनस्थ न्यायालय की नकले प्राप्त हुई तथा उसी दिन प्राप्त करने के पश्चात उक्त प्रकरण में अपीलार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का अपीलार्थीगण को ज्ञान हुआ। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सद्भाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना-पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि विपक्षी द्वारा प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन मनगढ़त व झूठे है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी थी अपीलांट ने मियाद प्रार्थना-पत्र में जो कारण अंकित किए वह सदभाविक एवं संतोषप्रद नहीं हैं। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति का अध्ययन किए बिना अपीलार्थी के खेत में से रास्ते हेतु आदेश/निर्णय दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने संबंधित तहसीलदार व पटवारी से रिपोर्ट/सर्वे करवाए बिना आदेश/निर्णय दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना आदेश दिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण/वादीगण के खसरा नम्बर 317 के मेड पर प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 320 में जाने के लिए खेत खसरा संख्या 324 में होकर जाते थे इस तथ्य को छिपाकर खेत खसरा संख्या 320 में जाने के लिए खेत खसरा संख्या 317 में से रास्ता बताकर निर्णय अपने पक्ष में करवाया है। प्रार्थीगण/वादीगण ने कृषि भूमि खसरा संख्या 324 के खातेदार के खेत से कुंआ खसरा संख्या 321 में जो रास्ता जाता है उसका उपयोग करता रहा है वह खसरा संख्या 317 की मेड अथवा उसमें से होकर कभी भी रास्ते का उपयोग उपभोग नहीं किया प्रार्थीगण/वादीगण ने गलत तथ्य बताकर न्यायालय के समक्ष साफ हाथों से नहीं आकर न्यायालय को गुमराह कर आदेश/निर्णय प्राप्त किया है। प्रार्थीगण/वादीगण ने कृषि भूमि खसरा संख्या 324 के खातेदार काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाकर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया है वह निरस्त करने योग्य है। अतः मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2022 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2023 को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किए है– 2021(2)आर0आर0टी 1286, 2019(1)आर0आर0टी 403.

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस/अपील में बताया कि तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 1.4.2022 को सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर मौका रिपोर्ट हेतु उपस्थिति हेतु नोटिस जारी किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

गए। सम्बंधित पक्षकारान मौके पर उपस्थित भी थे परन्तु अपीलांट पूरण द्वारा प्रथम तो नोटिस लेने से मना कर दिया गया उसकी तामीली रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। फिर पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर सभी पक्षकारों के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें अपीलांट पूरण स्वयं उपस्थित था परन्तु मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से उसके द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया जो दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। अतः उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के समक्ष जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है वह विधिनुसार थी। जैसाकि डी.एन.जे. 2022 वोल्यूम 2 पेज 937 में माननीय न्यायालय का प्रतिपादित सिद्धान्त है कि पक्षकारों को नोटिस जारी करने व सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात मौका रिपोर्ट मुर्तिब की गई जो विधि सम्मत है। अपीलांट स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर पत्रावली में हस्ताक्षर किये हैं एवं तहसीलदार, रूपनगढ़ द्वारा मौका रिपोर्ट हेतु नोटिस जारी किये गए जिस पर तामीली रिपोर्ट है। अपीलांट स्वयं मौके पर उपस्थित था तथा डी.एल.सी. दर के भुगतान के डिमाण्ड ड्राफ्ट पर नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए अतः अपीलांट को शुरू से ही प्रकरण की जानकारी थी तथा सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर अपीलांट को प्रदान किया गया परन्तु अपीलांट द्वारा जानबूझकर प्रकरण में अनावश्यक देरी करने की नीयत से उक्त अपील पेश की गयी है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 3 शुरू से ही खसरा नम्बर 318 की मेड से होते हुए अपने खसरा नम्बर 320 में आते जाते रहे हैं क्योंकि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स एक ही परिवार के संयुक्त सदस्य हैं। खसरा नम्बर 324 अन्य खातेदारों की खातेदारी में स्थित है। खसरा नम्बर 324 अलग खातेदारों की खातेदारी में स्थित है रेस्पोडेन्ट्स कभी भी उनके खसरा नम्बरों से आते जाते नहीं रहे तथा खसरा नम्बर 324 के खातेदार स्वयं मौका रिपोर्ट में उपस्थित थे तथा उन्होंने अपने बयान दिये हैं। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय में समुचित सुनवाई का बार–बार अवसर प्रदान किया गया जवाब हेतु अवसर प्रदान किए गए, मौका रिपोर्ट पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए, मौके पर उपस्थित भी हुआ डिमाण्ड ड्राफ्ट के नोटिस के नोटिस भी प्रदान किए गए। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है–2022(2)आर0आर0टी0 1219, 2022(2)आर0आर0टी0 996.

9. हमने पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दिनांक 10.3.2022 को पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिए सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 30.3.2022 को नियत की गई। पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 29.4.2022 नियत की गई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी संख्या 3 को नोटिस तामील शुदा प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1, 2 स्वयं उपस्थित पत्रावली वास्ते जवाब हेतु दिनांक 18.5.2022 को पेश होने हेतु नियत की गई। दिनांक 18.5.2022 को तहसीलदार रूपनगढ की ओर से जवाब प्राप्त व पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 27.5.2022 को नियत की गई। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 22.6.2022 को नियत की गई। वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी संख्या 1, 2 अनुपस्थित। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 6.7.2022 को नियत की गई। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 27.7.2022 को नियत की गई। पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 3.8.2022 को नियत की गई। पत्रावली दिनांक 3.8.2022 को पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम बुहारू के खसरा नम्बर 320 में आवागमन हेतु खसरा नम्बर 318 में से 5 मीटर चौडा रास्ता दर्ज करने के आदेश दिए गए। उक्त रास्ते में प्रयुक्त होने वादी भूमि का रकबा 0.018 है0 है जिसकी डी0एल0सी दर 108079/– प्रति है0 के हिसाब से भूमि की कीमत 1945 रूपए बनती है, जिसकी दुगुनी राशि 3890/– रूपए बनती है। इस आशय का निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिभाषक अपीलांट द्वारा कहे गए कथन कि उन्हें समुचित सुनवाई का अवसर दिए बिना व संबंधित तहसीलदार व पटवारी से रिपोर्ट/सर्वे करवाए बिना आदेश पारित किए गए है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत होने से उनकी प्रमाणिकता शून्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स दिनांक 29.4.2022 को स्वयं उपस्थित थे एवं उनके पत्रावली पर हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी है। तहसीलदार रूपनगढ़ द्वारा दिनांक 1.4.2022 को सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर मौका रिपोर्ट हेतु उपस्थिति बाबत नोटिस जारी किये गए। सम्बंधित पक्षकारान मौके पर उपस्थित भी थे परन्तु अपीलांट द्वारा नोटिस लेने से मना कर दिया गया उसकी तामीली रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। दिनांक 27.4.2022 को पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर सभी पक्षकारों के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार की गयी जिसमें अपीलांट पूरण स्वयं उपस्थित था परन्तु मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से उसके द्वारा स्पष्ट मना कर दिया गया जो दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध है। अपीलांट स्वयं मौके पर उपस्थित था तथा डी.एल.सी. दर के भुगतान के डिमाण्ड ड्राफ्ट पर नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए व अपीलांट द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्ट लेने से मना किया गया। अतः अपीलांट को प्रकरण की जानकारी थी तथा अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत है क्योंकि वर्तमान रेस्पोडेंट के निकटतम व सही रास्ता आराजी खसरा संख्या 318 से ही है चूंकि प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि पर पहुंच के लिए रास्ता होना विधि अनुसार आवश्यक माना गया है तथा उक्त अधिकार प्रत्येक काश्तकार विधि द्वारा उपरोक्त प्रावधान अधीन संरक्षित किया गया है। दिनांक 27.4.2022 को पटवारी हल्का एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर सभी पक्षकारों के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार की गयी उसके उपरांत ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित रूप से जांच व परीक्षण करने के उपरांत ही विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया गया है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अलावा अन्य कोई सुविधाजनक रास्ते का विकल्प नहीं है। अर्थात मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता आवश्यकताजनित व युक्तियुक्त होना मानते हुए हुए ही रास्ता कायमी

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

के आदेश दिए गए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय किसी प्रकार की विधिक व न्यायिक त्रुटि कारित नहीं की गई है, जिसकी पुष्टि हाजा न्यायालय द्वारा करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 08/2022 में पारित आदेश दिनांक 03.08.2023 को यथावत रखा जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी अपील खारिज किए जाने से प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(रामचन्द्र) 14/1/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner